प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **12/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

कन्हैयालाल पिता शंकरलाल नागदा पताः गांव बुजड़ा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

.............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 25.11.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 19.06.2024 को जिला कलक्टर उदयपुर को प्रेषित शिकायत पत्र में क्या कार्यवाही की गई के संबंध में सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/12/25/60–61 दिनांक 21.01.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.03.2025 को उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा तहसीलदार गिर्वा से सूचना के तहत नकले नहीं दी गई। मेरे द्वारा प्रथम अपील आपके न्यायालय में पेश की गई तो भी आज दिनांक तक नकले नहीं दी गई।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार द्वारा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ.अ./2005/2005/2025/331 दिनांक 21.03.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना काफी पुरानी होने से ढुंढने के उपरांत भी नहीं मिलने से प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना की रिकार्ड में गहन तलाश की जा रही है। जैसे ही सूचना मिलती है, अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जायेगी। अतः प्रथम अपील निरस्त फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक 331 दिनांक 31.03.2025 से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना काफी पुरानी होने से रिकार्ड में तलाशी की जा रही है। ढुंढने के उपरांत भी सूचना नहीं मिलने से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित पत्रावली की

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

गहन खोज कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये। पत्रावली नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराये तथा पत्रावली संधारित करने से संबंधित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए 15 दिवस के भीतर न्यायालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-04-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर